न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2019

प्रार्थी

1. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री पारसमल जाति सोनी निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री भरतकुमार पुत्र श्री रमेश कुमार जाति सोनी निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।
3. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोरधनलाल जाति सोनी निवासी शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. सरकार जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता प्रार्थीगणों की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 14.10.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88(2) के तहत मौजा शिवगंज पटवार हल्का शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा तथा खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा की भूमि का राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों का नाम इन्द्राज करवाने हेतु प्रस्तुत की जिस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया जिस पर अप्रार्थी की ओर से श्री अश्विन मरडिया राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:02 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में [illegible] किया कि मौजा शिवगंज पटवार हल्का शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही में खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा तथा खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा की [illegible] राजस्व भूमि नहीं होकर पट्टाशुदा आबादी भूमि है एवं राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि का इन्द्राज पट्टाधारियों के नाम से नहीं होने के कारण राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सरकारी बिलानाम भूमि होना गलत दर्ज है। यह है कि उक्त खसरा संख्या 108 एवं 109 की भूमि सिरोही स्टेट के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

समय से "सर्वे संख्या 623 की बगीची" के नाम से जानी जाती है, जिसका पट्टा संख्या 83 दिनांक 15 मई 1911 संवत 1967 का सिरोही स्टेट के समय का "लालचंद दुलीचंद ओतर" के नाम से बना हुआ है। उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रति जिला कलक्टर सिरोही के रेकर्ड से प्राप्त की गई। यह है कि पट्टा संख्या 83 से पूर्व उक्त "सर्वे संख्या 623 की बगीची" का पट्टा संख्या 108 संवत 1922 का सीरदारमल वगैरा के नाम से बना हुआ था, जिनसे उक्त भूमि लालचन्द दुलीचंद ओतर द्वारा खरीदकर बगीची बनवाई थी जिसका उल्लेख पट्टा संख्या 83 में किया गया है। यह है कि उक्त पट्टा भूमि के चारों ओर स्टेट के समय से परकोटा पुराना बना हुआ है, जो मौके पर मौजूद है। यह है कि लालचन्द की मृत्यु होने के बाद उक्त बगीची का पट्टा संख्या 83 उनके वारिसानों के नाम से तब्दील किया गया तथा नया पट्टा शाह देवीचंद ताराचंद मगनलाल शांतिलाल रकबदास लालचंद ओतर के नाम से जारी किया गया। यह है कि पूर्व में जारी अतिरिक्त भूमि का पट्टा बना होने से उसकी कीमत रूपए 106.75 पैसे वसूल करना पट्टा में दर्ज है। यह है कि उक्त सम्पत्ति सिरोही स्टेट के समय से पट्टाधारियों की निजी सम्पत्ति है तथा आबादी पट्टाशुदा भूमि है, जो पट्टाधारियों के स्वामित्व तथा कब्जे में आज तक चली आ रही है तथा निजी सम्पत्ति के रूप में उपयोग में आ रही है एवं उक्त भूमि आजादी के पूर्व से ही शाह देवीचंद वगैरा के स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि थी। यह है कि महक्मा बंदोवस्त संवत 2001 में भी उक्त खसरा संख्या 108 की भूमि अरठ देवीचंद लालचंद तथा खसरा संख्या 109 में भी अहाता देवीचंद लालचंद की होना दर्ज है। यह है कि उक्त भूमि के आगे स्थित पडत भूमि को नगरपालिका शिवगंज द्वारा पट्टेधारियों के वारिसानों के हक में विक्रय कर समीपवर्ती भू–पट्टी का विक्रय विलेख श्रीमती मोहनीबाई वगैरा के हक में जारी किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 866 वर्गफीट है। पट्टा संख्या 99–2000/24 पत्रावली संख्या 98–99/88 है। उक्त पट्टा उपपंजीयक कार्यालय शिवगंज में पंजीकृत है, जिसके पंजीयन संख्या 614 दिनांक 18.06.1999 है। यह है कि पट्टा संख्या 83 तथा भूपट्टी, जिसके पट्टा संख्या 99 है, की भूमि के पट्टाधारियों द्वारा कुल 09 भूखण्ड बनाए गए तथा उक्त सभी भूखण्डों को प्रार्थीगण तथा उसके परिवारजन ने जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की है तथ सभी विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय शिवगंज में पंजीकृत है। यह है कि प्रार्थीगण व उसके परिवारजन द्वारा उक्त भूमि को खरीदकर कब्जा प्राप्त करने के बाद नगरपालिका शिवगंज के गृहकर रजिस्टर में अपना नाम इन्द्राज करवाया, जिसकी रसीद प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई है। यह है कि उक्त भूमि आबादी पट्टाशुदा भूमि होते हुए भी राजस्व अभिलेख में राजस्व बिलानाम भूमि गलत दर्ज होने से भू–माफियाओं द्वारा प्रार्थीगण को उद्दपित कर प्रार्थीगणों से अनुचित राशि हडप करने तथा सम्पत्ति से वंचित करने के दुर्भावनापूर्ण आशय से जिला सतर्कता समिति में झूठी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर दिसम्बर 2012 में तहसील[illegible] द्वारा मौके पर जांच करवाई गई एवं उक्त जांच में यह पाया गया कि राजस्व अभि[illegible]त भूमि राजस्व बिलानाम भूमि होना गलत दर्ज है तथा [illegible] स्वामित्वों की निजी सम्पत्ति है। उक्त जांच के बाद दर्ज करवाई [illegible] झूठी शिकायत के निरस्त किया गया। इसके उपरान्त पुनः वर्ष 2017 में शि[illegible]त की गई, जिस पर तहसीलदार शिवगंज न्यायालय में प्रार्थीगणों के विरूद्ध धारा [illegible] एल आर एक्ट के तहत गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सिरोही

Scanned with CamScanner

तरीके से अतिक्रमण बताकर कार्यवाही की गई, जिसके प्रकरण संख्या 75/2017 है, जिसमें दिनांक 16.02.2018 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें उक्त खसरा संख्या 108 व 109 की भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम भूमि दर्ज होने से प्रार्थीगण के दस्तावेजों पर कोई गौर किए बिना ही बेदखली का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत की जिसके अपील संख्या 33/2018 है, जिसमें दिनांक 13.06.2018 को निर्णय पारित कर तहसीलदार शिवगंज का निर्णय विधि विरूद्ध होना मानकर निर्णय अपास्त किया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। यह है कि आबादी भूमि राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी वर्षों से हैरान व परेशान किया जा रहा है जबकि राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखने का जिम्मा राज्य सरकार तथा तहसीलदार का है। पट्टाशुदा भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करना तथा रेकर्ड को दुरूस्त रखने का जिम्मा भी राज्य सरकार का होते हुए भी प्रार्थीगण को हैरान व परेशान होना पड रहा है। यह है कि धारा 68 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार भी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित समस्त भूमि नगरपालिका में निहित करती है, इस कारण भी राजस्व अभिलेख में उक्त आबादी भूमि को नगरपालिका शिवगंज की आबादी भूमि दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जिससे प्रार्थीगण अपनी सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग कर सके। यह है कि उक्त भूमि पर कभी भी राज्य सरकार का कब्जा नहीं रहा है एवं पुराने समय से उक्त भूमि पट्टाशुदा बगीची है व निजी सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति पर पट्टाधारियों व प्रार्थीगण व उसके परिवारजनों का कब्जा है। राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती नहीं होने की दशा में प्रार्थीगणों को उनके हक अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उनके कब्जे व स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 108 व 109 का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व उनके परिवारजनों के नाम से किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी की ओर से बहस में राजकीय अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड यानि सेटरमेंट संवत 2001 से जमाबंदी मेहकमा बन्दोबस्त व खसरा मेहकमा बन्दोबस्त में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है। इसके अलावा प्रथम जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में भी उक्त भूमि राजकीय बिलानाम दर्ज है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि राजकीय बिलानाम दर्ज है। यह है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड में आबादी भूमि होने का कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा की कार्यप्रणाली के बारे में भी कहीं पर अंकन नहीं किया गया है। यह है कि प्रार्थीगणों का उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने से तहसीलदार [illegible] द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तह[illegible] 16.02.2018 को बेदखली का आदेश पारित किया। यह है कि उक्त विवादित भूमि कभी भी प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई आधार नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा शिवगंज पटवार हल्का शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही में खसरा संख्या 108 रकबा 1.11 बीघा किस्म बगीचा एवं खसरा संख्या 109 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ.चा. भूमि आई हुई है, जो वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि सेटरमेन्ट संवत 2001 से जमाबन्दी मेहकमा बन्दोबस्त व खसरा मेहकमा बन्दोबस्त में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं इसके अलावा प्रथम जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में भी उक्त भूमि राजकीय बिलानाम दर्ज है एवं वर्तमान में भी उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 1945 में श्री राज राजेश्वर महाराजा अधिराज श्री श्री 108 श्री सर सरूपरामसिंहजी साहब द्वारा पट्टा 83 दिनांक 18.04.1945 को शिवगंज निवासी शाह देवीचंद ताराचन्द मगनलाल इत्यादि जाति जैन को सर्वे नं. 623 की बगीची के नाम से जारी किया गया, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त उक्त पट्टे की प्रमाणिकता संदेहास्पद प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मौजा शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही की संवत 2001 की जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त में जमींदार के नाम के कॉलम में भी सरकार दर्ज है एवं खातेदार के नाम के कॉलम में गैर काबिल काश्त दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि का आबादी भूमि का पट्टा प्रार्थीगणों के पास में होते हुए भी राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित खसरा संख्या 108 एवं 109 से सम्बन्धित भूमि प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक कभी भी आबादी भूमि होने का किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रारम्भ में भी उक्त विवादित खसरा संख्या 108 की किस्म बगीचा एवं खसरा संख्या 109 की किस्म आ.चा. दर्ज थी, जो वर्तमान में भी दर्ज है। यह है कि उक्त विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रार्थीगणों के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण संख्या 75/2017 दर्ज किया, जिसमें दिनांक 16.02.2018 को निर्णय पारित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगणों के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें प्रकरण को समुचित सुनवाई का अवसर देने हेतु तहसीलदार शिवगंज को रिमाण्ड किया गया एवं तहसीलदार शिवगंज न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 174/2018 दर्ज किया गया, परन्तु उक्त पत्रावली इस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से प्रकरण संख्या 174/2018 अभी विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत हो[illegible] उक्त विवादित भूमि संवत 2001 से वर्तमान संवत 2079 त[illegible] बिलानाम सरकार दर्ज है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत 1981 आर.आर. [illegible]48 का अवलोकन किया गया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर [illegible] लक्ष्मीनारायण बनाम राजस्थान सरकार में विवादित भूमि संवत 2001 से संवत 201[illegible] तक बिलानाम सरकार दर्ज होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रकरण को खारिज किया गया। चूंकि इस प्रकरण की विषयवस्तु भी इसी प्रकार की है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner